

विविध बैंक प्रकरण संख्या 25/2022 (GCMS : 2022/38) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सादुलशहर श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबन्धक श्री मोहनलाल इन्दालिया बनाम 1. स्व. श्रीमती मीरा देवी (मृतक) पत्नी श्री मोहन लाल -श्री देवीचंद पुत्र श्री मोहनलाल 2. देवी चंद पुत्र मोहन लाल निवासी वार्ड नं 19, सैक्टर 2 एल, नजदीक पाव हाउस, सादुलशहर श्रीगंगानगर 3. बिल्लूराम पुत्र लाल चंद निवासी वार्ड नं 16, सादुलशहर, श्रीगंगानगर

01.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 03.02.2022 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण स्व. मीरा देवी (मृतक) (देवीचन्द पुत्र मोहनलाल - मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी), देवी चन्द एवं बिल्लूराम को ऋण सुविधा के रूप में 5.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये पांच लाख मात्र) का ऋण दिनांक 11.12.2015 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी स्व. मीरा देवी एवं देवी चंद द्वारा अपनी सम्पत्ति भूखण्ड नं. 19 (क्षेत्रफल 30' गुणा 60'), वार्ड नं. 19, सैक्टर 2 एल, नजदीक पावर हाउस, सादुलशहर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 24.03.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 17.09.2021 को 7,63,909/- रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 18.09.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

डाक से भिजवाये गये है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी स्व. मीरा देवी एवं देवी चंद द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति भूखण्ड नं. 19 (क्षेत्रफल 30' गुणा 60'), वार्ड नं. 19, सैक्टर 2 एल, नजदीक पावर हाउस, सादुलशहर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी देवीचंद के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार ने कथन किया कि अप्रार्थी मीरा देवी की मृत्यु दिनांक 22.02.2016 को हो चुकी है और प्रार्थी बैंक द्वारा एवं मीरा देवी के वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है तथा ना ही उनके वारिसान को धारा 13(2) सरफेसी अधिनियम का नोटिस दिया गया है। प्रार्थी बैंक ने पूर्व में वर्ष 2019 में इसी प्रकरण को माननीय जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा स्व. मीरा देवी के वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने के कारण खारिज किया गया था। अब प्रार्थी बैंक ने पुनः उक्त तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी अधिनियम खारिज करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने अप्रार्थी के अधिवक्ता की उक्त बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मीरा देवी (मृतक) के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों से सम्बन्धित दस्तावेजात (मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र) की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु मीरा देवी (मृतक) के समस्त कानूनी उत्तराधिकारी (ज्ञात व अज्ञात यदि कोई हो) एवं देवी चंद को लिखा गया था, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा विधिक उत्तराधिकारियों से सम्बन्धित दस्तावेज व जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है जबकि अप्रार्थी स्व. मीरा देवी (मृतक) के विधिक उत्तराधिकारियों की जानकारी उपलब्ध करवाना अप्रार्थीगण ऋणियों का दायित्व था, इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया खारिज करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋणियों को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऋणी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित आपत्तियों पर इस न्यायालय को विचार करने की कोई अधिकारिता नहीं है और न ही इस न्यायालय को किसी प्रकार से किसी के अधिकारों को तय करने की अधिकारिता है, और न ही किसी दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने की अधिकारिता है, इसलिए अप्रार्थी ऋणियों द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण स्व. मीरा देवी (मृतक) (देवीचन्द पुत्र मोहनलाल - मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी), देवी चन्द एवं बिल्लूराम को 5.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये पांच लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 11.12.2015 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी स्व. मीरा देवी एवं देवी चन्द द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति भूखण्ड नं. 19 (क्षेत्रफल 30' गुणा 60'), वार्ड नं. 19, सैक्टर 2 एल, नजदीक पावर हाउस, सादुलशहर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 24.03.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी स्व. मीरा देवी (मृतक) - ऋणी, देवी चन्द (सह ऋणी) (All legal Heirs (known and unknown of Meera Devi(Deceased)) एवं बिल्लूराम को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 18.09.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.09.2021 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण देवीचन्द एवं बिल्लूराम को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। चूंकि धारा 13(2) का

जारी नोटिस दिनांक 18.09.2021 की तामील के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त ऋणी द्वारा बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाये जाने के आदेश प्रार्थी बैंक ने चाहे है।

अप्रार्थी ऋणी द्वारा स्वतः की उपस्थित आकर प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध अपने प्रार्थना पत्र में जो आपत्ति की है, उनके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संदर्भ में 2016(4) डीएनजे(राज.) 1814 राज. हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर एवं अन्य के पैरा 14, 15, 16, 17 में निम्न व्यवस्था दी गई है:-

14. From bare reading of section 14 of the act of 2002, it is clear that the District Magistrate is not required to give any notice to borrowers, guarantors or any other person while dealing with the application under Section 14 of the Act of 2002.
15. The Division Bench of Bombay High Court after taking into consideration its earlier pronouncements as well as the decision of Hon'ble Supreme Court on the point in issue has held that the action of the District Magistrates and Chief Metropolitan Magistrates of issuing notices to the borrowers, guarantors or any other person providing them opportunity of hearing or allowing them to file objections is contrary to law laid down by the Hon'ble Supreme court and various other high courts.
16. I am in perfect agreement with the law laid down by the Bombay High Court in above referred decisions. More over, as per the decision of Hon'ble Supreme Court in United Bank of India Vs. Satyawati Tondon & Ors., (Supra), the petitioners have an alternate remedy to file an appeal under Section 17 of the Act of 2002 against any order passed by the District Magistrate on the application under Section 14 of the act of 2002 filed by the respondents.
17. In view of the above discussions, reliefs prayed for by the petitioners in this petition cannot be granted. Hence, the instant writ petition fails and is hereby dismissed.
There Shall be no order as to costs.

चूंकि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऋणी, जमानतदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय राज. जोधपुर द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में व्यक्त किया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय के प्रकाश में अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 21.03.2022 में गई आपत्ति पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता और एआईआर 2012 गुजरात 90 के अनुसार भी किसी के अधिकारों को तय करने का कोई अधिकार नहीं है और एआईआर 2011 बॉम्बे 32 के अनुसार भी किसी भी दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने का इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है। ऐसी दशा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2022 विचार योग्य नहीं है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी स्व. मीरा देवी एवं देवीचंद की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति भूखण्ड नं. 19 (क्षेत्रफल 30' गुणा 60'), वार्ड नं. 19, सैक्टर 2 एल, नजदीक पावर हाउस, सादुलशहर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 18.09.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 18.09.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण स्व. मीरा देवी (मृतक) - ऋणी, देवीचन्द (सह ऋणी) (All legal Heirs (known and unknown of Meera Devi (Deceased)) एवं बिल्लूराम को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.09.2021 भिजवाये गये हैं, धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी देवी चंद (सह ऋणी) एवं बिल्लूराम को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार देवी चंद (सह ऋणी एवं बिल्लूराम को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये हैं किन्तु All legal Heirs of Meera Devi (Deceased)) के समस्त उत्तराधिकारियों को धारा 13(2) के नोटिस जारी करने चाहिए थे, जो प्रार्थी बैंक ने नहीं किये हैं।

हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार की धारा 15 निम्नानुसार अवलोकनीय है :

15. हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकारी के साधारण नियम :

(1) निर्वसीयत मरने वाली हिन्दु नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी:

(क) प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी है) और पति को,

(ख) द्वितीय : पति के वारिसों को,

(ग) तृतीयतः माता और पिता को,

उन वारिसों को जो अनुसूची के व

(घ) चतुर्थतः : पिता के वारिसों को, तथा

(ङ.) अन्ततः माता के वारिसों को

.....

जिला मजिस्ट्रेट

भी बंगानगर

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 में पुत्र, पुत्री और पति उत्तराधिकारी की परिभाषा में आते हैं जबकि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी स्व. मीरा देवी किसी भी उत्तराधिकारी को नोटिस जारी नहीं किया गया है उसके स्थान पर धारा 13(2) के नोटिस पर ऋणी - स्व. मीरा देवी पत्नी मोहन लाल, सहऋणी देवीचंद पुत्र मोहन लाल एवं All Legal Heirs (known and unknown) of Meera Devi (Deceased) अंकित गया है जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में स्व. मीरा देवी (मृतक) पत्नी मोहन लाल, देवी चंद पुत्र मोहन लाल (मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी) - ऋणी, देवी चंद पुत्र मोहन लाल - सहऋणी एवं बिल्लू राम पुत्र लाल चंद - जमानती अंकित किया गया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 अनुसार किसी महिला की मृत्यु होने के पश्चात उसके पुत्र, पुत्री और पति आदि उसके उत्तराधिकारी की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकरण में मृतक स्व. मीरा देवी की पुत्र, पुत्री और पति आदि जीवित है अथवा नहीं? बताया नहीं गया है और न ही मृतक स्व. मीरा देवी के समस्त उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक था, जो नहीं लिया गया है। चूंकि ऋणी स्व. मीरा देवी पुत्र, पुत्री और पति भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है जिसे भी धारा 13(2) का नोटिस दिया जाना आवश्यक था। इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का प्रकरण संख्या डब्ल्यूपी नं. 27230/2009 अनवान् एस. सुहैना बानो वगै. बनाम इण्डियन बैंक, एआरएम ब्रांच वगै. निर्णय दिनांक 01.12.2010 अवलोकनीय है। उक्त पैटीशन संख्या 27230/2009 के निर्णय अनुसार मृतक ऋणी/गारंटर के वारिसान को धारा 13(2) का नोटिस उक्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

जिला माजस्ट्रेट

श्री बंगानगर

Demand Notice

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmitting at the place where the borrower or his agent, empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.**

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the branches of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand notice shall be served on each borrower.


चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 18.09.2021 अप्रार्थीगण मीरा देवी(Deceased) पत्नी मोहन लाल - ऋणी, देवी चंद पुत्र मोहन लाल - सहऋणी एवं बिल्लूराम को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये हैं तथा अप्रार्थी ऋणी स्व. मीरा देवी के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही उन्हें धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी किया गया है जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002** के **RULE 3** के तहत मान्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी स्व. मीरा देवी के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाकर एवं धारा 13(2) के नोटिस न जारी कर तामील के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों की अवहेलना की है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने 2012 Cr. I.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versus Arvind Kumar & Anr के पैरा-13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये हैं :

13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that generally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see also : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and Karnataka State Road Transport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 में अप्रार्थी ऋणी के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाये जाने के कारण और उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना न होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए धारा 13(2) के नोटिस सपटित नियम 3 की पालना करते हुए ऋणी मीरा देवी के समस्त उत्तराधिकारियों को जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करते हुए पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रुक्मिणी रियार सिहागं)
विला मजिस्ट्रेट
श्री मंथानगर